रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042020-219063
CG-DL-E-16042020-219063

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1119] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2020/चैत्र 27 , 1942
No. 1119] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2020/CHAITRA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

का.आ. 1261(अ).—वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की अधिसूचना 18 अप्रैल, 2016 का.आ. 1443(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रदर्शित की गई थी, जिसमें सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएमएफ़यू) को प्रकाशित किया गया था, में आंशिक संशोधन के लिए सीजीएफ़एमयू की प्रबंधन समिति की 31 मार्च, 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त में उक्त निधि में निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन (जिन्हें इटैलिक्स में एवं रेखांकित किया गया है) का प्रस्ताव किया गया है:-

(i) अध्याय I का परिच्छेद क्रम सं. 2 x को निम्नवत पढ़ा जाएगा

"संपार्श्विक प्रतिभूति" का अर्थ है उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता की प्राथमिक प्रतिभूति/ व्यक्तिगत दायित्व के अलावा प्रदान की गई प्रतिभूति। *किसी ऋण सुविधा के संबंध में प्राथमिक प्रतिभूति का अर्थ होगा कि इस प्रकार दी गई ऋण सुविधा से सृजित संपत्तियाँ और/अथवा मौजूदा वे गैर-भारग्रस्त संपत्तियाँ जो सीधे उस परियोजना या व्यवसाय से जुड़ी हैं, जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई है (व्यक्तिगत संपत्तियों को शामिल न करते हुए)।*

(ii) अध्याय I का परिच्छेद क्रम सं. 2 xiii को निम्नवत पढ़ा जाएगा

"गारंटी कवर" का अर्थ है प्रति संविभाग के लिए उपलब्ध अधिकतम कवर, जो कि ऋणदात्री संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा के संबंध में चूक की राशि पर आधारित है। चूक की राशि का पहला *3%*, पात्र ऋणदात्री संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। *3%* से अधिक की चूक राशि (यदि लागू हो) को निधि द्वारा यथानुपात आधार पर *75%* की सीमा तक निपटान किया जाएगा, बशर्ते लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो जिसमें दावा राशि अर्ह होने की पुष्टि की गई हो।

(iii) अध्याय I के क्रम सं. 2 xix पर निम्नलिखित परिच्छेद जोड़ दिया जाएगा

"स्व-सहायता समूह (एसएचजी)" – *जैसाकि इन्हें समय-समय पर परिभाषित किया जाता है, जिसमें नाबार्ड द्वारा भारत सरकार की दो योजनाओं – दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अथवा डे-एनआरएलएम/एसआरएलएम और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या एनयूएलएम के अंतर्गत परिभाषित स्व-सहायता समूह भी शामिल रहेंगे, किन्तु वहीं तक सीमित नहीं होंगे।*

(iv) अध्याय II के क्रम सं. 4 पर जो शीर्षक है उसे योजना के अन्तर्गत अर्ह सूक्ष्म ऋण और स्व-सहायता समूह ऋण ऐसा पढ़ा जाएगा और इसके तहत निम्नलिखित परिच्छेद जोड़ दिया जाएगा

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान और उसके बाद मंजूर 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए के बीच के ऋण भी इस अधिसूचना की तारीख से सीजीएफएमयू के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे, चाहे एसएचजी सदस्यों को समूह गारंटी उपलब्ध हो अथवा न हो। इस श्रेणी के संबंध में, प्रथम हानि गारंटी शून्य होगी और दूसरी हानि गारंटी 75% होगी। इस समूह के लिए प्रथम वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क 0.25% प्रति वर्ष और बाद के वर्षों के लिए 0.5% प्रति वर्ष रहेगा। गारंटी शुल्क को मंजूरी के समय बकाया राशि पर (यथानुपात आधार पर) और उसके बाद नवीकरण के लिए वार्षिक आधार पर लिया जाएगा। एसएचजी को दी जाने वाली यहाँ शामिल ऋण सुविधा किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा समर्थित नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: उक्त परिच्छेद के प्रयोजन हेतु 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच किसी भी राशि (यथा 11 लाख रुपए) की एसएचजी को मंजूर ऋण में समस्त ऋण (बकाया ऋण यदि 10 लाख रुपए से नीचे जाता है, और ध्यान दिए बिना) इस गारंटी के अंतर्गत कवरेज का पात्र होगा।

(v) अध्याय III के क्रम सं. 8i पर गारंटी शुल्क के अंतर्गत निम्नलिखित परिच्छेद जोड़ दिया जाएगा

ग) एसएचजी के लिए गारंटी शुल्क – गारंटी शुल्क प्रथम वर्ष के दौरान 0.25% प्रतिवर्ष की दर से और बाद के वर्षों के लिए 0.50% प्रतिवर्ष की दर से प्रभारित किया जाएगा। गारंटी शुल्क मंजूरी के समय बकाया शेष पर (समानुपातिक आधार पर) प्रभारित किया जाएगा और उसके बाद नवीकरण हेतु वार्षिक आधार पर लिया जाएगा।

घ) महत्वाकांक्षी जिलों में अवस्थित सूक्ष्म इकाइयों के लिए गारंटी शुल्क – महत्वाकांक्षी जिलों में अवस्थित सूक्ष्म इकाइयों के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 व वित्त वर्ष 2021-22 के संविभाग पर लिए जाने वाले गारंटी कवर के लिए गारंटी शुल्क 0.5% प्रतिवर्ष की न्यूनतर दर से (पहले साल के लिए यथानुपातिक आधार पर) प्रभारित किया जाएगा। दो वर्षों के समाप्ति पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

(vi) गारंटी की प्रमात्रा के तहत अध्याय IV के क्रम सं. 9 i का परिच्छेद निम्नवत पढ़ा जाएगा:

i. 'प्रथम हानि संविभाग गारंटी' की प्रकृति में, जिसमें *चूक की राशि के 3%* तक की पहली हानि, एमएलआई द्वारा खुद वहन की जाएगी और इस वजह से दावे में से हटा दी जाएगी। शेष भाग में से 'गारंटी की प्रमात्रा' उस संविभाग में 'चूक की राशि' का अधिकतम *75%* तक अथवा किसी अन्य प्रतिशत, जिसे निधि द्वारा समान-समय पर यथानुपातिक आधार पर तय किया जाए, तक होगी।

   एसएचजी के मामले में गारंटी कवर प्रमात्रा – एमएलआई द्वारा वहन किया जाने वाला प्रथम हानि संविभाग शून्य होगा और गारंटी की प्रमात्रा चूक राशि की 75% होगी।

(vii) अदा किए गए दावों के आधार पर अधिकारों और वसूली की अधीनता के तहत अध्याय V के क्रम सं.11. ii को निम्नवत पढ़ा जाएगा

ii. निधि को देय और वसूल की गई प्रत्येक राशि की अदायगी बिना किसी देरी के की जाएगी, और यदि निधि को देय कोई भी राशि *उस वित्त वर्ष के अंत, जिसमें यह वसूल की गई है, से 30 दिनों के बाद भी अदा नहीं की जाती है,* तो उस ऋणदात्री संस्था द्वारा निधि को उस समय *प्रचलित रेपो दर से ऊपर 2% अधिक ब्याज,* 30 दिनों की उक्त अवधि समाप्त हो जाने पर भी उक्त अदायगी बकाया रहने की अवधि के लिए देना होगा।

(viii) अध्याय VII के क्रम सं. 1 पर ऋणदात्री संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारंटी आहूत किए जाने पर प्राप्त राशि के विनियोजन के अन्तर्गत जो परिच्छेद है उसे निम्नांकित परिच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा

क) ऋणदात्री संस्था वार्षिक अद्यतन सूचना फाइल के साथ और प्रत्येक दावा प्रस्तुत करते समय, वसूली राशि भी सूचित करेगी।

ख) अंतिम दावा निपटान के बाद कानूनी खर्च से अधिक की वसूलियों को उसी प्रतिशत अनुपात में साझा किया जाएगा जिस पर अंतिम दावा राशि का निपटान किया गया था अर्थात अदा की गई अंतिम दावा राशि / प्रत्येक एमएलआई के प्रत्येक गारंटीकृत संविभाग में चूक की अंतिम राशि।

ग) ऐसी वसूलियों को संविभाग के जीवन काल के आगे तीन वर्षों तक वार्षिक आधार पर, प्रत्येक वित्त वर्ष की संपति के 30 दिनों के भीतर अर्थात वर्ष 5, वर्ष 6 और वर्ष 7 के 30 अप्रैल तक आगे बढ़ाना होगा। वर्ष 7 की समाप्ति पर इस संविभाग को अंतिम रूप से समाप्त मान लिया जाएगा।

अधिसूचना की अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. 21/1/2020-आईएफ-II]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

S.O. 1261(E).—In partial modification of MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION New Delhi, dated 18th April 2016 S.O. 1443(E) appearing in the Gazette of India: EXTRAORDINARY PART II—Section 3—Sub-section (ii) publishing the Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU), the following changes/alterations (given in italics & underlined) have been introduced by the Management Committee of CGFMU *vide* its minutes of the meeting held on March 31, 2020:

(i) Paragraph at Serial No. 2 x in Chapter I shall read as

"Collateral security" means the security provided in addition to primary security / personal obligation of borrower/co-borrower. ***Primary security*** *in respect of a credit facility shall mean the assets created out of the credit facility so extended and/or existing unencumbered assets which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended (personal assets to be excluded).*

(ii) Paragraph at Serial No. 2 xiii in Chapter I shall read as

"Guarantee Cover" means maximum cover available per portfolio, based on the amount in default, in respect of the credit facility extended by the lending institution. The first *3%* of the amount in default will be borne by the eligible lending institution. The amount in default over and above *3%* (if applicable) will be settled by the fund to the extent of *75%* on pro-rata basis, subject to the receipt of an Auditors' certificate confirming eligible claim amount.

(iii) Following paragraph at Serial No. 2 xix in Chapter I shall be inserted

"Self Help Groups (SHGs)" *– As may be defined from time to time and including, but not limited to, SHGs as defined by NABARD under two schemes of GoI – Deendayal Antodaya Yojana National Rural Livelihood Mission or DAY-NRLM/SRLM and National Urban Livelihood Mission or NULM.*

(iv) Title at Serial No. 4 in Chapter II shall read as Micro loans *and SHG loans* eligible under the Scheme and the following paragraph shall be added under it

Loans sanctioned to Self Help Groups (SHGs) between Rs.10 lakh and Rs. 20 lakh during FY 2020-21 and thereafter would also be eligible for coverage under CGFMU, irrespective of the availability of group guarantee of SHG members, from the date of this notification. In respect of this category, first loss guarantee shall be Nil and second loss guarantee shall be 75%. The Guarantee Fee for this group shall be 0.25% p.a. during first year and 0.5% p.a. in subsequent years. The guarantee fee shall be charged on outstanding balance at the time of sanction (on pro rata basis) and thereafter on annual basis for renewals. Credit facility to SHGs being covered here should not be backed by any collateral.

Explanation: For the purposes of this Section, the loan sanctioned to an SHG for any amount between Rs. 10 lakh and Rs. 20 lakh (say Rs. 11 lakh), the entire loan (irrespective of the loan outstanding, even if it goes below Rs.10 lakh) would be eligible for coverage under this guarantee.

(v) The following paragraphs shall be inserted under Guarantee Fee at Serial No. 8i of Chapter III

c) Guarantee fee for SHG -The Guarantee fee would be charged at 0.25% p.a. during first year and 0.50% p.a.in subsequent years. The guarantee fee will be charged on outstanding balance at the time of sanction (on pro rata basis) and thereafter on annual basis for renewals.

d) Guarantee fee for Micro units in Aspirational Districts - The Guarantee fee would be charged against guarantee cover for micro loans located in the Aspirational Districts at lower fees of 0.5% p.a. (on prorata basis for first year) for guarantees availed on the portfolios of FY 2020-21 & FY 2021-22. This shall be reviewed at the end of two years.

(vi) Paragraph at Serial No. 9 i of Chapter IV under Extent of Guarantee shall read as :

iii. In the nature of 'First Loss Portfolio Guarantee', wherein first loss to the extent of *3% of the amount in default*, will be borne by the MLI and therefore, will be excluded for the claim. Out of the balance portion, the 'extent of guarantee' will be to a maximum extent of *75%* of 'Amount in Default' in the portfolio or such other percentage as may be specified by the Fund from time to time on a pro-rata basis.

Extent of Guarantee Cover in respect of SHGs- First loss Portfolio Guarantee to be borne by MLIs shall be Nil and extent of guarantee will be 75% of amount in default.

(vii) Serial No. 11. ii. under Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid of Chapter V shall read as

iv. Every amount recovered and due to be paid to the Fund shall be paid without delay, and if any amount due to the Fund remains unpaid beyond a period of 30 days *from the end of FY* in which it was recovered, interest shall be payable to the Fund by the lending institution at *2% over and above the prevailing repo rate* for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.

(viii) The paragraph under Appropriation of amount realized by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked at Serial No. 1 of Chapter VII shall be replaced by

a) The Lending institution shall report the recovery amount with the annual Update File and at the time of lodgement of each Claim File.

b) The recoveries made post final claim settlement, in excess of legal costs, shall be shared on the same percentage on which final claim amount was settled i.e. Final Claim amount paid / Final Amount in Default for each MLI for each guaranteed Portfolio.

c) Such recoveries shall be passed on an Annual basis for three years beyond the life time of the Portfolio, within 30 days of each financial year end i.e. by April 30th of

Year 5 Year 6 and Year 7. At the end of Year 7, the Portfolio shall be marked as finally closed.

Other contents of the notification shall remain unchanged.

[F. No. 21/1/2020-IF-II]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA